



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124572

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19101/2026

कामिल

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

नियाज अहमद

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नियाज अहमद और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अनुराग पांडे की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया। हालांकि, संबंधित पुलिस द्वारा 25.05.2026 को नोटिस तामील किए जाने के बावजूद प्रथम सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 315/2025, धारा 137(2), 64(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत, पुलिस थाना- खुर्जा नगर, जिला बुलंदशहर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने प्रथम सूचनादाता (पीड़िता) की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है, हालांकि पीड़िता ने धारा 180 और 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह 17 वर्ष की है और वह स्वयं अपना घर छोड़कर गई थी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा अपीलार्थी द्वारा उसकी सहमति के विरुद्ध कोई गलत कार्य नहीं किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया है और यह पीड़िता के साथ प्रेम प्रसंग का मामला मात्र है। इस तथ्य की पुष्टि पीड़िता के बयान से हुई है। अंत में यह निवेदन किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल कर दी गई है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 13.03.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी - **कामिल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा अपीलार्थी और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।
9. अपीलार्थी और जमानतदारों के दूरभाष संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम से ईमेल या ई-कारागार पोर्टल द्वारा और निचली अदालत को ई-मोड द्वारा 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें **स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 का निर्णय 31.01.2023** को लिया गया था और **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित हुआ था, साथ ही **पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य** के मामले में **रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय 29.05.2026** को लिया गया था।
12. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निपटारा कर दिया गया है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2 जून, 2026

ए.के.आर.

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।